दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
email: dmsingrauli@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 734/स्थापना/2025 सिंगरौली, दिनांक 06 अक्टूबर 2025

कारण बताओ नोटिस

प्रति,
डॉ. श्रीमती कल्पना रवि
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय
सिंगरौली (म0प्र0)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 6.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ–सफाई का अभाव पाया गया । ड्यूटी डाक्टर्स अनुपस्थित पाये गये तथा अस्पताल के कर्मचारीगण भी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले । जिला रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध राशि के संबंध में जानकारी लेने पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । वार्डो में मरीजों से संबंधित रिकार्ड का व्यवस्थित संधारण किया जाना नहीं पाया गया । उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने मूलभूत शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है ।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है । अतः आप कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर लिखित में जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे ? निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

(गौरव बैनल)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली

दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
email: dmsingrauli@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

पृ.कमांक 735/स्थापना/2025 सिंगरौली, दिनांक 06 अक्टूबर 2025

प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली

दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
email: dmsingrauli@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 730 /स्थापना/2025 सिंगरौली, दिनांक 06 अक्टूबर 2025

कारण बताओ नोटिस

प्रति,

सुश्री पूनम रावत
सहायक प्रबंधक
जिला चिकित्सालय
सिंगरौली (म0प्र0)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 6.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ–सफाई का अभाव पाया गया । ड्यूटी डाक्टर्स अनुपस्थित पाये गये तथा अस्पताल के कर्मचारीगण भी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले । वार्डो में मरीजों से संबंधित रिकार्ड का व्यवस्थित संधारण किया जाना नहीं पाया गया । उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने मूलभूत शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है ।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है । अतः आप कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर लिखित मे जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

(गौरव बैनल)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली

दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
email: dmsingrauli@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

पृ.क्रमांक 731 /स्थापना/2025 सिंगरौली, दिनांक 06 अक्टूबर 2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली

दूरभाष
कार्यालय (07805) - [illegible]
निवास (07805) - 24411[illegible]
email: dmsingrauli@mp.gov.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 732/स्थापना/2025 सिंगरौली, दिनांक 06 अक्टूबर 2025

कारण बताओ नोटिस

प्रति,

डॉ. राजेश कुमार वैश
आर.एम.ओ.
जिला चिकित्सालय
सिंगरौली (म0प्र0)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 6.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर मे साफ–सफाई का अभाव पाया गया । ड्यूटी डाक्टर्स अनुपस्थित पाये गये तथा अस्पताल के कर्मचारीगण भी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले । वार्डो में मरीजो से संबधित रिकार्ड का व्यवस्थित संधारण किया जाना नहीं पाया गया । उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने मूलभूत शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है ।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है । अतः आप कारण बताओ नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर लिखित में जवाब प्रस्तुत करे कि क्यो न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे ? निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

(गौरव बैनल)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली